

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 105/2019

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लि०
शाखा कार्यालय:- सी-1 प्रथम मंजिल, आनासागर, सर्कुलर रोड, वैशाली नगर,
अजमेर (राज०)-305001
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1). श्री रसीद मौहम्मद पुत्र श्री नाथू खान
पता -169, सोनगरा के कुंए के पास, वार्ड नं. 9 तहसील किशनगढ,
जिला अजमेर (राज.)-305025
दुसरा पता -प्लॉट नं. 06, खसरा नं. 234 व 235 का हिस्सा, बृज विहार कॉलोनी,
मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर (राज.)-305801
- (2). श्रीमती नूरजहां पत्नी श्री रसीद मौहम्मद
पता - 169, सोनगरा के कुंए के पास, वार्ड नं. 9 तहसील किशनगढ,
जिला अजमेर (राज.)-305801

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री मनदीप सिंह चौहान

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री रसीद मौहम्मद पुत्र श्री नाथू खान व श्रीमती नूरजहां पत्नी श्री रसीद मौहम्मद निवासी-169, सोनगरा के कुंए के पास, वार्ड नं. 9 तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज.)-305025 को दिनांक 19.02.2015 को रु 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर बृज विहार कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर(राज.) स्थित आवासीय प्लॉट सं० 06 जो कि खसरा नं. 234 व 235 का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गगज है जो कि श्री रसीद मौहम्मद पुत्र श्री नाथू खान के नाम से है। प्लॉट की चतुर्थ सीमाएं- पूर्व-हमीदा का मकान, पश्चिम -रास्ता, उत्तर -खाली जमीन, दक्षिण -भडभुजा का मकान है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 15.08.2016 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-8,26,265/- (अक्षरे आठ लाख छब्बीस हजार दो सौ पैसठ रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का



Attestation
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक बृज विहार कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर(राज.) स्थित आवासीय सम्पति प्लाट सं0 06 जो कि खसरा नं. 234 व 235 का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गगज है जो श्री रसीद मौहम्मद पुत्र श्री नाथू खान के नाम से है। प्लॉट की चतुर्थ सीमाएं— पूर्व—हमीदा का मकान, पश्चिम —रास्ता, उत्तर —खाली जमीन, दक्षिण —भडभुजा का मकान है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को सुनाया गया।



(Signature)

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर